

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2700/

जबलपुर, दिनांक 05/06/2018

श्री राम आसरे, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 09.03.18 से 13.03.18 तक 05 दिन एवं दिनांक 19.03.18 से 23.03.18 तक 05 दिवस का अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है तथा दिनांक 27.03.18 से 17.04.18 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा कर शेष अवधि का वेतन भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती है साथ ही चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में बिना सूचना आवेदन पत्र के कार्यालय में अनुपस्थित न रहें अन्यथा आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

सही/-


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2701/

जबलपुर, दिनांक 05/06/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री राम आसरे, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)

